

उद्घरण (कुटेशन) आमन्त्रण नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान में अतिथि गृह की देखभाल, सफाई, रसोई सम्बन्धित सभी कार्य, अतिथि / यात्री/ किसान/ आगन्तुकों के लिए खाना व चाय इत्यादि बनाना, बिस्तरों को साफ सुथरा बिछा कर रखना, हर रोज अतिथि गृह के सामान को पोंछना, फर्श पर पोचा व झाड़ू लगाना, अतिथि गृह के अन्य कार्य जो समय -2 पर जरूरी समझा जाए, इत्यादि कार्य करने हेतु अध्यक्ष, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र, गड़सा द्वारा वार्षिक अनुबन्ध के लिए सादे कागज पर स्वहस्ताक्षरित कुटेशन मोहर बन्द लिफाफे में आमन्त्रित किए जाते हैं 1 इच्छुक व्यक्ति / पार्टियां अपने कुटेशन दिनांक 03.02.2016 को समय 11.00 बजे पूर्वाह्न तक इस कार्यालय में जमा करवा सकते हैं 1 जो उसी दिन दिनांक 03.02.2016 को 11.30 बजे पूर्वाह्न पर गठित कमेटी द्वारा खोली जाएगी :

नियम एवं शर्तें:

- 1 अतिथि गृह के कार्य हेतु सबसे कम व उचित दरें ही स्वीकार की जाएंगी 1 यदि आवश्यक समझा गया तो दर के बारे में बातचीत (नेगोसिएसन) की जा सकती है 1 फिर भी प्राप्त किसी एक या सभी कुटेशनों को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है 1 कुटेशन दाता के पास पै न0- अनिवार्य होना चाहिये जिस की छाया प्रति कुटेशन के साथ संलग्न करनी होगी 1
- 2 कुटेशन के साथ रुपये 1000/- बतौर साई राशि जमा करवानी होगी यह राशि सफल ठेकेदार को छोड़ कर ठेका की कार्यवाही पूर्ण होने के तुरन्त बाद लौटा दी जाएगी 1
- 3 सफल ठेकेदार को कुल ठेका राशि का 10 प्रतिशत बतौर धरोहर राशि जमा करवानी होगी जिस में साई राशि भी समयोजित की जा सकती है 1 धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट जो सी. एस. डब्लू. आर.आई. यूनिट एन. टी. आर. एस. गड़सा, के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा भून्तर पर देय हो अथवा एफ.डी.आर. जो अधोहस्ताक्षरी के नाम गिरवी रखा गया हो, द्वारा भी जमा करवा सकते हैं 1 यह राशि ठेकेदार को लिखित प्रार्थना पर ठेका सन्तोषजनक समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी 1
- 4 ठेके की अवधि 12 महीने की होगी 1 ठेका कार्य की सन्तुष्टि को देखकर ठेकेदार की सहमति पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है 1 इसके विपरीत कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ठेका अवधि से पूर्व निरस्त किया जा सकता है तथा धरोहर राशि जब्त की जा सकती है 1
- 5 जिस ठेकेदार के पक्ष में ठेका होता है, वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम ठेका हस्तान्तरित नहीं कर सकता है 1
- 6 अतिथि गृह में कार्य न होने पर ठेकेदार को कार्यालय में कार्य करना होगा 1
- 7 ठेकेदार स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त अनुभवी व्यक्ति को अतिथि के रहते समय या उनके आने की सम्भावना पर हर समय अतिथि गृह में मौजूद रहना होगा 1 नावालिंग को कार्य पर तैनात करना स्वीकार्य नहीं होगा 1 ठेकेदार को मजदूर सम्बन्धी विवादों / ई.पी. एफ., न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा अन्य लेबर नियम सम्बन्धित मामलों से स्वयं निपटना होगा 1 संस्थान / केन्द्र की इस सम्बंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी 1
- 8 ठेके की शर्तों का पालन न करने पर यदि ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न स्वयं करने पर ठेका तुरन्त समाप्त किया जाएगा व ऐसी दशा में ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त की जाएगी 1
- 9 सन्तोषजनक कार्यपूर्ति के बाद बिल का भुगतान, बिल प्रस्तुत करने, पै न0 के इन्द्राज करने व प्रभारी अतिथि गृह द्वारा सत्यापित करने के बाद, लेखाधिकारी, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर द्वारा 45 दिनों के भीतर किया जाएगा 1 नियमानुसार आयकर तथा अधिभार (जो लागू होगा) काटा जाएगा 1
- 10 ठेकेदार एवं उसके श्रमिकों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों व अतिथियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा 1
- 11 ठेकेदार या उस के प्रतिनिधि द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा 1 यदि नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, साथ ही अनुबन्ध की अवधि में किसी श्रमिक को लगाया या हटाया जाता है तो उसकी सूचना भी प्रभारी अतिथि गृह को देनी होगी 1 यदि ठेकेदार या उसके द्वारा लगाए गये मजदूर किसी असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए तो ठेका तुरन्त निरस्त किया जाएगा 1
- 12 निदेशक/अध्यक्ष को बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी कुटेशनों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा 1
- 13 यदि किसी कारणवश उपरोक्त दिनांक को अवकाश होता है तो इस कार्य हेतु अगली दिनांक लागू होगी 1

कार्यकारी अध्यक्ष

1. नोटिस बोर्ड, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र, गड़सा 1
2. प्रधान, ग्राम पंचायत गड़सा, दियार, शियाह, हुरला व थरास 1
3. प्रभारी ऐ. के, एम. युनिट, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान, संस्थान, अविकानगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कुटेशन सूचना को कृप्या संस्थान के बैब साईट में डालने का श्रम करें 1
4. प्रभारी अतिथि गृह को बृहत प्रचार हेतु प्रेषित है